



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट-2, गाजियाबाद।

परिवाद सं०-5723/2022

सतेन्द्र ठाकुर बनाम नरेन्द्र कुमार त्यागी

अंधारा- 138 N.I. Act 1881

थाना-विजयनगर, गाजियाबाद।

दिनांक-01.04.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज वास्ते तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादी ने **नरेन्द्र कुमार त्यागी** के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-138 एन०आई०एक्ट० के तहत परिवाद प्रस्तुत किया है तथा परिवादी की ओर से धारा-200 दं०प्र०सं० के तहत स्वयं का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। प्रश्नगत चैक अनादृत हुआ है। परिवादी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा जारी असल चैक सं०-201945, दिनांक 10.08.2022 धनराशि कुल अंकन 1,90,000/- रुपये की मूल प्रति, चैक रिटर्न मैमो, असल डाक रसीद आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। विपक्षी **नरेन्द्र कुमार त्यागी** को अन्तर्गत धारा-138 एन०आई०एक्ट० में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

आदेश

विपक्षी **नरेन्द्र कुमार त्यागी** को अं० धारा-138 एन०आई०एक्ट में विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनांक 10.05.2024 के लिए तलब किया जाता है। परिवादी उभय प्रकार से पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

दिनांक 01.04.2024

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट -2, गाजियाबाद।